जल शक्ति मंत्रालय
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DoWR, RD & GR

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अवसर एवं सुविधाएँ

पंचायत प्रतिनिधि तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का प्रशिक्षण

प्रायोजक: लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग

ESTD. 1978

SRS

कार्यान्वयन एजेंसी:

के.आर.सी. – स्टूडेंट्स रिलीफ सोसायटी

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अवसर अथवा सुविधा –

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण समुदाय की भागीदारी से स्थानीय पंचायतें अपनी आवश्यकतानुसार पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, निर्माण, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव स्वयं करेंगी जिससे कि उन्हें पीने का शुद्ध पानी, उत्तम स्वास्थ्य एवं सफाई का लाभ मिल सके।" समुदाय द्वारा इसमें निर्णय प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाई जायेगी तथा पूँजी लागत में आशिक अंशदान तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु जिम्मेदारी वहन की जायेगी। इससे कार्यक्रम में समुदाय के स्वामित्व की भावना पनपेगी जो योजना को दीर्घकालिक स्थायित्व देगी।

जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य है वर्ष 2024 तक क्षेत्र के सभी घरों तक चालू नल संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) पहुंचाना। इसके साथ–साथ मिशन का प्रयास है कि चार सूत्रीय यथा ग्रामीण समुदाय की बेहतर स्वास्थ्य सेवाऐं, महिलाओं व बालिकाओं द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रम में कमी तथा महिलाओं को शक्तिसंपन्न बनाना, बालिकाओं द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर से विद्यालय छोड़े जाने की घटनाओं में कमी तथा ग्रामीण समुदायों के रोजगार में वृद्धि जैसा मापा जा सकने योग्य परिणाम हासिल किया जाए। इस प्रकार के दृष्टिकोण से ग्रामीण परिवारों की सामाजिक–आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी । जल जीवन मिशन एक समय बद्ध कार्यक्रम है तथा इसके सफल कार्यान्वयन व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। अतः एक चार स्तरीय संस्थागत तंत्र राष्ट्रीय, राज्य, जनपदीय व ग्राम स्तर पर खड़ा करना अभीष्ट है।

राष्ट्रीय स्तर

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत के नियोजित विकास के समय पर्यावरणीय स्वच्छता समिति ने प्रथम पंच वर्षीय योजना (1951–56) की एक निश्चित अवधि में सभी ग्रामों में सुरक्षित जलापूर्ति कार्यक्रम का अनुमोदन किया। इस उद्देशय की पूर्ति हेतु वर्ष 1954 में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तृतीय पंच वर्षीय योजना तक (1961–66) ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक तत्व बन गया था। इस प्रयास को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत समर्थित किया गया। वर्ष 1972–73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी) का शुभारंभ हुआ ताकि राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहायतित किया जा सके, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जल की भारी कमी थी तथा स्थानिक रूप से जल जनित रोगों की बहुलता थी। कार्यक्रम को पाँचवीं पंच वर्षीय योजना (1974–79) में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गति मिली ।

वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पेय जल मिशन (एन.डी.डब्ल्यू.एम.) का जल संकट के समाधान हेतु वैज्ञानिक पद्धति के निवेश व किफायती बनाने हेतु शुभारंभ किया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से टेक्नोलोजी मिशन भी कहा जाता है। आठवी पंच वर्षीय योजना (1992–97) में जल की गुणवत्ता की समस्या को हल करने के निमित्त उन स्थानों पर जहां जनसंख्या आरसैनिक, फ्लोराइड, लौह, खारापन, जल स्रोतों की कमी से जूझ रही थी तथा स्रोतों व प्रणाली की निरंतरता चाहती थी, उप–मिशनों का गठन किया गया ।

वर्ष 1999–2000 में, विकेंद्रीकृत, मांग–आधारित समुदाय द्वारा प्रबंधित सेक्टर रिफार्म क्रियान्वित किए गए जिसमें ग्राम पंचायतों / स्थानीय समुदाय को पेयजल योजनाओं के नियोजन कार्यान्वयन तथा प्रबंधन में शामिल किया गया। इसे बाद में वर्ष 2002 में स्वजलधारा के रूप में उच्चीकृत किया गया तथा वर्ष 2007–2008 तक इसे कार्यान्वित किया जाता रहा।

वर्ष 2004–05 में ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. भारत निर्माण का एक भाग बन गया जिसका लक्ष्य 2008–09 तक आबादी को जल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादन प्रदान किया जाना था। ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. का कार्यान्वयन ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना (2007–12) के वर्ष 2008–09 तक किया जाता रहा। वर्ष

2009–10 में इसे उपांतरित करके राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम एन.आर. डी. डब्ल्यू.पी) का नाम दिया गया जिसमें घरेलू जलसंग्रह क्षमता हेतु जल की उपलब्धता, औचित्य, सुविधाजनकता, सामर्थ्य व बराबरी, निरंतर आधार पर उपलब्धता, पंचायतीराज संस्थाओं तथा सामुदायिक संस्थाओं को शामिल कर विकेंद्रीकृत पहुँच अपनाना सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया ।

वर्ष 2013 में एन. आर. डी. डब्ल्यू. पी. में कुछ परिवर्तन किए गए यथा i) पाइप जल आपूर्ति योजनाएँ, ii) जहां तक संभव हो, जल के सेवा स्तर को 40 एल. पी. सी. डी. (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) से बढ़ा कर 55 एल. पी. सी. डी. किया जाए, iii) जेई व एईएस प्रभावित जनपदों में जल की गुणवत्ता पर बहुत अधिक बल देना iv) अपशिष्ट कल उपचार, पुनर्प्रयोग तथा v) पुरानी योजनाओं का संचलन व अनुरक्षण वर्ष 2017 में एन.आर. डी. डब्ल्यू .पी. को पुनर्गठित किया गया i) इसे और प्रतिस्पर्धात्मक परिणामोन्मुख तथा उत्पाद आधारित बनाने के लिए, ii) राज्यों को सुगमता प्रदान करने के लिए जब वे इस के कुछ घटकों को कम करके कार्यान्वित कर रहे हो तथा iii) जेई तथा एईएस प्रभावित जनपदों में केवल एक अपवाद के साथ पाइप्ड जलापूर्ति करना ।

14वें वित्त आयोग (2015–2020) में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल तथा स्वच्छता को राष्ट्रीय महत्व के घटक के रूप में मान्यता दी गई तथा उन्हें सतत् पेयजल आपूर्ति प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया क्योंकि वे एक औपचारिक प्रबंधन मॉडल के अन्तर्गत संचालित किए जा रहे थे तथा उनमें 100% घरेलू मीटर स्थापित थे व उनसे प्राप्त होने वाली आय कम से कम इस प्रणाली के संचालन व अनुरक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम थी। इस आयोग ने सभी व्यापारिक, वैयक्तिक तथा संस्थागत संयोजनों में 100% मीटर स्थापित करने का अनुमोदन दिया तथा यह भी अनुमोदित किया कि वैयक्तिक तभी उपलब्ध करवाया जाए जब पानी के मीटर स्थापित किए जा चुके हों ।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघीय राज्यों को नियोजित करके प्रत्येक घर को चालू नल संयोजन की सुरक्षा प्रदान करनी है। यह राज्य सरकारों/विभागों के लिए संभव नहीं होगा कि कि प्रत्येक घर के लिए जलापूर्ति का प्रबंध करे इसलिए ग्रामों में जलापूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों/इसकी उप समितियों/स्थानीय समुदाय की भूमिका नियोजन कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचन व अनुरक्षण में बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पंचायतों के पास जलापूर्ति को प्रबंधित करने हेतु संवैधानिक जनादेश है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कि ग्रामों के भीतर स्थानीय समुदाय/ग्राम पंचायत तथा/अथवा इसकी उप समितियां यथा ग्राम जलापूर्ति समिति/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह इत्यादि संचलन व अनुरक्षण, लागत वसूली व सुप्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। जल जीवन मिशन के उद्देश्य को हासिल करने हेतु निम्नलिखित रणनीति अपनाई जा सकती है :

- राज्यों/संघीय राज्यों द्वारा मार्च, 2020 से पूर्व ही घरेलू संयोजनों के आधारिक विवरण का पुनर्सत्यापन व निर्धारण
- प्रत्येक घर में तीन स्थानों पर एफ एच टी सी उपलब्ध करवाना यथा रसोई घर नहाने धोने का क्षेत्र तथा शौचालय
- घरेलू नल संयोजन उपलब्ध करवाने के निमित्त वर्षों से सृजित जलापूर्ति अवसंरचना में सामंजस्य स्थापित करना, पुरानी प्रणाली को सुयोग्य बनाना तथा जीर्णोद्धार करना
- पुरानी सुयोग्य बनाई हुई प्रणाली तथा प्रगतिरत योजनाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी तथा इसके बाद पूर्ण हो चुकी पाइप्ड जलापूर्ति योजनाओं को वरीयता दी जाएगी जिनसे स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जल की प्राप्ति हो रही है

- जिन ग्रामों में उनकी भौगोलिक सीमा के भीतर ही निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त भूजल उपलब्ध है, उसी स्रोत को जलापूर्ति हेतु उपयोग किया जाएगा
- ग्रामों में जहां चालू हैंड पंप मौजूद है वहाँ उनकी गहराई बढ़ाना यदि आवश्यक हुआ तो बढ़ाया जाएगा तथा उन्हें सेवा प्रदान करने वाले स्रोत के डिलीवरी मॉडल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है
- जन जातीय/पहाड़ी/वनीय क्षेत्रों में, गुरुत्वाकर्षण तथा/अथवा सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजना के विकल्प का अन्वेषण किया जाए जिसका संचलन व अनुरक्षण कम लागत लेता हो तथा इसे ही वरीयता दी जाए
- पहाड़ियों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में झरने पेयजल का एक विश्वसनीय स्रोत होते हैं, इनका अन्वेषण किया जाए
- गरम व ठंडे रेगिस्तानों में नवाचारित पहुँच तथा संभावित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप का अन्वेषण किया जाए
- ग्राम जहां पर्याप्त मात्रा में भूजल उपलब्ध है परंतु जहां गुणवत्ता की समस्या है, स्थिति के अनुसार त्वरित निवारण वाली प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप किया जाए
- ग्राम, जो सूखा बाहुल्य क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ जल के मेल खाते हुये बहु स्रोतों यथा तालाबों, झीलों, नदियों, दूर से जलापूर्ति, वर्षा जल संचयन/अथवा अप्राकृतिक रीचार्ज का प्रयोग किया जाए।

ग्राम कार्ययोजना (वी ए पी) ग्राम पंचायतों अथवा इसकी उप समितियों यथा वी. डब्ल्यू. एस. सी. /पानी समिति/ उपयोगकर्ता समूह इत्यादि द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें आई.एस.ए.,पी.एच.ई.डी. विभागों का सहयोग होगा। यह योजना आधारिक सर्वेक्षण के आधार पर संसाधन मानचित्रण तथा ग्रामीण समुदाय द्वारा अनुभव की गई आवश्यकताओं को शामिल करते हुये तैयार की जाएगी। इसमें निम्नलिखित बातों का समावेश होगा –

- जलापूर्ति का इतिहास/ग्रामों में उपलब्धता, सूखे (अकाल) का विवरण/जल अल्पता/चक्रवात/बाढ़ अथवा कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, किसी आपातकालीन व्यवस्था किए जाने का इतिहास यथा टैंकरों, ट्रेनों के माध्यम से जलापूर्ति जलापूर्ति से संबन्धित कार्यों के उप भाग, स्रोतों का मजबूत किया जाना, जल उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति प्रमुख जल जनित बीमारियां;
- ग्राम जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति जिसमे स्रोत, जल गुणवत्ता मुद्दे, यदि कोई हो तथा संचालन च अनुरक्षण प्रबंधन
- जल स्रोतों में वर्तमान समय में पानी की उपलब्धता (फसलों से मापा हुआ) तथा तथा इसके दीर्घकालीन निरंतरता
- गाँव में पानी के आंकलन की आवश्यकता तथा उपलब्ध संसाधन । इस पर आधारित एकल ग्राम (एस.वी.एस) योजना के निर्माण हेतु निर्णय लेना, अथवा बहु ग्राम योजना (एम. वी.एस) का एक भाग तैयार करना आंशिक लागत में नगद/समतुल्य/श्रम तथा नियमित संचलन व अनुरक्षण में योगदान देने हेतु इच्छा सहित व्यक्तियों की उपलब्धता
- ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा/अथवा इसकी उप समितियों यथा वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह, साधारण तकनीशियन आदि का क्षमता वर्धन करना, समुदाय के मध्य जल है विवेकपूर्ण उपयोग तथा जीवन स्तर के बदलाव के बारे में जागरूकता पैदा करना इत्यादि

- प्रतावित जल स्रोत की स्थिति, नहाने/धोने के स्थान, पशुओं के पानी पीने के स्थान, तकनीकी विकल्पका अंतिमीकरण कार्यान्वयन कार्यक्रम, दीर्घावधि संचलन व अनुरक्षण योजना इत्यादि
- ग्राम पंचायत तथा/अथवा इसकी उप समितियों यथा वी.डब्ल्यू.एस.सी/पानी समिति, उपयोगकर्ता समूह आदि के पक्ष में ग्राम में ही जलापूर्ति अवसंरचना के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- ग्राम पंचायतों तथा/अथवा इसकी उप समितियों यथा वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति, उपयोगकर्ता समूह तथा इसके सदस्यों आदि का डी.डब्ल्यू.एस.एम,एस.डब्ल्यू.एस.एम ,आई. एस.ए. संस्था, पी.एच.ई.डी. विभाग से जुड़ाव व उनकी सम्पूर्ण भूमिका व उत्तरदायित्व है कि ग्राम में स्थित सार्वजनिक संस्थाओं यथा विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, समूह भवन इत्यादि में जल उपलब्ध करवाया जाए
- संचलन व अनुरक्षण कार्यों, छोटे छोटे मरम्मत कार्यों आदि हेतु ग्राम्य स्तर के तकनीशियनों को चिन्हित करना ग्राम में समर्पित व्यक्तियों को चिन्हित करना जो फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल की गुणवत्ता को टेस्ट करें तथा इसका प्रशिक्षण भी प्रदान करें
- ग्रेवाटर प्रबंधन के उपाय : v) सफाई निरीक्षण का कार्यक्रम vi) जल सुरक्षा योजना
- ग्राम पंचायत तथा / अथवा अथवा इसकी उप समितियों यथा वी.डब्ल्यू.एस.सी/पानी समिति, उपयोगकर्ता समूह इत्यादि द्वारा ग्राम सभा में समुदाय तथा बसी सभी बस्तियों आई.एस.ए, डी.डब्ल्यू.एस.एम., पी.एच.ई.डी विभाग इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित करना। ग्राम कार्ययोजना ग्राम सभा में स्वीकृत की जाएगी जब गाँव की 80p आबादी मीटिंग में उपस्थित हो तथा तैयार की गई कार्य योजना से सहमत हो। तत्पश्चात ग्राम कार्य योजना को डी डब्ल्यू एस एम में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा। इस योजना की तकनीकी स्वीकृति पी.एच.ई.डी विभाग/बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।

जिला कार्य योजना (डीएपी)

ई डब्ल्यू एस एम, जिला कार्य योजना (डी ए पी) के अंतिमीकरण हेतु उत्तरदायी होगा में सम्मिलित होंगे :

- त्रैमासिक और वार्षिक योजना के साथ सभी ग्रामीण घरों में चालू नल संयोजन 2024 तक उपलब्ध करवाने की रणनीतिक योजना
- सभी प्राप्त ग्राम कार्य योजनाओं का संकलन
- ग्राम कार्य योजनाओं से उभर कर आने वाले घटकों का विश्लेषण और उनका डाटाबेस तैयार करना
- चालू घरेलू नल संयोजन की उपलब्धता हेतु वित्तीय आवश्यकता तथा चिन्हित की गई गतिविधियों की समयसीमा बनाना । विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन की आवश्यकता तथा उनका क्षमता वर्धन, जिला कार्य योजना का ही एक भाग होगी।
- उन ग्रामों का चिहीकरण जहां जलापूर्ति प्रणाली स्थापित की जानी है, स्थानीय जल स्रोतों पर आधारित होगा जिस हेतु, पुराने यंत्रों की फिटिंग तथा वृद्धि / अथवा जहा भू सतह जल स्रोतों से जलापूर्ति की आवश्यकता हो
- स्वस्थानिक परंपरागत कृषि पद्धतियों का चिन्हीकरण करना / उन अवसंरचनाओं का रेट्रोफिटिंग द्वारा नवीकरण करना जिससे उनके द्वारा की जाने वाली पेय जलापूर्ति में वृद्धि हो सके :

- मुख्य पाइपों जल स्रोतों का आंकलन करना, उपचार सुविधा (मरम्मत कार्य) की आवश्यकता, ऊंचे भंडारण जलाशय, नालों, जल पंपो, सौर पैनलों, वितरण नेटवर्क, चालू घरेलू नल संयोजन, नहाने/धोने के स्थान पशुओं द्वारा पाने पीने के गड्ढे ग्रे वाटर ट्रीटमेंट तथा साधनों का पुनर्प्रयोग) स्रोतों की निरंतरता मापने के साधन इत्यादि जनपद के भीतर ही वांछित है तथा इनकी लागत;
- नाभिकायित आई एस ए के अतिरिक्त वांछित आई एस ए की संख्या का चिंहीकरण, उनके परिनियोजन तथा ग्राम कार्य योजना प्रारम्भ करने वाले ग्राम में उपलब्धता सुनिश्चित करना
- क्षमता वर्धन, प्रशिक्षण, थर्ड पार्टी निरीक्षण, संचलन व अनुरक्षण तथा अन्य आई ई सी गतिविधियों हेतु योजना बनाना
- ग्राम कार्य योजना से निकले हुए साधनों के संमिलन बिन्दुओं को चिन्हित करना कि क्या वे जल की आवश्यकता को पूरा करते हैं.
- जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला हेतु एन. ए. बी. एल. से मान्यता लेने की योजना बनाना तथा ब्लॉक/ग्राम स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण का मॉडल चिन्हित करना
- जिला कार्ययोजना की सम्पूर्ण लागत) समय सीमा तथा धनराशि की आवश्यकताएँ व उत्पाद)
- गाँव में इस प्रणाली का संचालन व अनुरक्षण साथ साथ क्षेत्रीय जलापूर्ति वित्तीय व संस्थागत आवश्यकता तथा व्यवस्था)
- एस.डब्ल्यू.एस.एम को अंतिमीकृत जिला कार्य योजना भेजना

राज्य कार्य योजना (एस.ए.पी.)

राज्य कार्य योजना (एस ए पी) को राजा के सम्पूर्ण पेयजल की सुरक्षा के उद्देश्य सहित इस प्रकार तैयार किए जाने की आवश्यकता है) कि पेयजल की आपूर्ति को किसी भी गाँव में टैंकरों/ट्रेनों द्वारा अथवा हैंडपंपों की स्थापना आदि के माध्यम से उपलब्ध करवाना रोका जा सके)

राज्य कार्य योजना पी एच ई डी/आर डब्ल्यू एस विभाग की सहायता से एस डब्ल्यू एस एम के द्वारा तैयार व अंतिमीकृत की जाएगी जो जिला कार्य योजनाओं पर आधारित होगी । वर्तमान में उपलब्ध संरचना की रेट्रोफिटिंग को वरीयता दी जाएगी यथा प्रथम दो वित्तीय वर्षों में प्रारम्भ की गई व पूर्ण की गई पाइण्ड जलापूर्ति योजनाएँ तथा प्रगतिरत पाइन्ड जलापूर्ति योजनाओं को चिन्हित करना, इसके अतिरिक्त जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में, जे ई– ए ई एस क्षेत्रों में, डीडीपी क्षेत्रों डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों, आकाक्षित जनपदो तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस ए जी वाई) ग्रामों में मार्च 2021 में चालू घरेलू नल संयोजन उपलब्ध करवाने को वरीयता दी जाएगी,

2024 तक राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति करने के निमित्त जल जीवन मिशन एक परियोजना दृष्टिकोण का अनुपालन करेगाः–

इस हेतु राज्य कार्य योजना वर्ष 2024 की अवधि तक के लिए तैयार की जाएगी, परस्पर जो सम्पूर्ण रणनीतिक योजना को आच्छादित करती है ध्वत जीपे, कार्यान्वयन के तौर–तरीके की जाने वाली गतिविधिया, समय सीमा के साथ प्राप्त किए जाने वाले परिणाम, वार्षिक वित्तीय परिव्यय इत्यादि। राज्य कार्य योजना के अंतर्गत रणनीतिक योजना स्रोत की निरंतरता, कार्यक्षमता, निगरानी कार्यान्वयन हेतु थर्ड पार्टी निरीक्षण, जल मापन, ग्रे वाटर प्रबंधन तथा प्रणाली की व्यापक संचलन व अनुरक्षण योजना का विस्तृत स्रोत होगी । राज्य कार्य योजना डी डी डब्ल्यू एस द्वारा संबन्धित राज्य/संघीय राज्य से विचार

विमर्श के उपरांत विचारित व स्वीकृत की जाएगी। राज्य कार्य योजना पर आधारित वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा

राज्य/संघीय राज्य की वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी) स्वीकृत राज्य कार्य योजना से निकलेगी जिसमें वित्तीय व जनपद वार लक्ष्य समाहित होंगे तथा ये डी डी डब्ल्यू एस/एन जे जे एम को भेजे जाएंगे। वार्षिक कार्य योजना को संबन्धित राज्य/संघीय राज्य से परामर्श के उपरांत डी डी डब्ल्यू एस/एन जे जे एम द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा वार्षिक कार्य योजना (ए एपी) के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थागत व्यवस्थायें ग्राम पंचायत स्तर

ग्राम पंचायत–

सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति के गठन के लिए समुदाय को उत्प्रेरित कर सहयोग प्रदान करेगी। यह उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति को सशक्त बनाते हुए उसकी क्षमता विकास में सहयोग प्रदान करेगी तथा योजना का अनुमोदन, संचालन एवं रख–रखाव, वित्तीय प्रबन्धन, विवाद निपटाना, लेखा परीक्षण कराना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि कार्यों को क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करेगी।

ग्राम पंचायत/उसकी उप–समिति

विधि मान्यता ग्राम पंचायत/इसकी उपसमिति अर्थात ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि संविधान के 73वें संशोधन में परिकल्पित विधिमान्य इकाई के रूप में विधि मान्य है।

वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत या उसकी उपसमिति गांव में जलापूर्ति प्रबन्धन की जिम्मेदारियों को निभायेंगी अथवा नही ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार जहां भी ग्राम पंचायत/उसकी समिति जिम्मेदारी लेती है, वहां पर उपसमिति/उप समितियां यथा पी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का गठन किया जा सकता है। निम्नवत होगा–

उपसमिति का स्वरूप– पी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का स्वरूप

- ✓ समिति में कुल 10–15 सदस्य सम्मिलित किये जा सकते हैं।
- ✓ नेतृत्व अध्यक्ष सरपंच/ग्राम प्रधान करेंगे। सचिव के रूप में पंचायत सचिव/पटवारी कार्य करेंगे।
- ✓ उक्त समिति/उपसमिति में 50 प्रतिशत महिला सदस्य उक्त समिति/उपसमिति में 25 प्रतिशत पंचायत के निर्वाचित सदस्य।
- ✓ उक्त समिति / उपसमिति में 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग (अनु0जा0/अजनजाति) के सदस्य।
- ✓ समिति का कार्यकाल सामान्यतः 2–3 वर्ष का होगा और ग्राम सभा को समिति पुर्नगठित कर सकती है।

समिति पुर्नगठन, उपभोक्ता समूह गठन–

- ✓ यदि समिति/उपसमिति में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल अपरिहार्य कारणों से समाप्त हो जाता है तो, डी. डब्ल्यू. एस. एम. द्वारा समिति की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी, जब तक ग्राम पंचायत का पुर्नगठन नहीं हो जाता है।
- ✓ जिन राज्यों में निर्वाचित ग्राम पंचायतें मौजूद नहीं हैं, वहां समिति/उपसमिति का नेतृत्व पारम्परिक मुखिया/वरिष्ठ ग्राम नेता आदि कर सकते हैं, जिसका निर्णय ग्राम परिषद ले सकती है और समिति का कार्यकाल के सम्बन्ध में निर्णय ले सकती है।
- ✓ ग्राम पंचायत या उसकी उपसमिति के लिये पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य सरकार उपयुक्त अधिसूचना जारी करेगी।
- ✓ यदि किसी दूर–दराज की बस्तियों में पृथक पेयजल योजना निर्माण किया जाता है तो ऐसी बसावटों में एक प्रयोक्ता/उपभोक्ता समूह का गठन किया जा सकता है, जो कि वी.एब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति आदि के प्रति जवाबदेह होंगी।

उपसमिति गठन प्रक्रिया–

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों/ग्रामों में जलापूर्ति योजना/योजनाओं के संचालन हेतु उपसमिति के रूप में वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता अथवा उपभोक्ता समूह गठित किये जाने है। ग्राम पंचायत स्तर पर समिति/ उपसमिति गठन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है–

- ✓ समिति/उपसमिति/प्रयोक्ता समूह गठन हेतु पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए।
- ✓ जे०जे०एम० के सम्बन्ध में प्रत्येक कलस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत/आई.एस.ए./जिला कियान्वयन एजेन्सी द्वारा जन–जागरूकता एवं कार्यक्रम की सामान्य जानकारी प्रदान करायी जानी चाहिये, ताकि पूरे ग्रामीण समुदाय को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तथा तद्नुसार ग्रामीण समिति सदस्यों कार्यों को समझ सके और उसके अनुरूप ही समिति गठन करने में आसानी हो सके।
- ✓ ग्राम पंचायत के अन्दर प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की संख्या के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए जिससे कि गठित की जाने वाली उपसमिति की संख्या के बारे में पता चल सकेगा, साथ ही छोटी– छोटी बस्तियों हेतु यदि पृथक से जलापूर्ति योजना बनायी जानी है तो तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।
- ✓ समिति/उपसमिति/प्रयोक्ता समूह गठन हेतु आम सभा (ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिये। उक्त बैठक में ग्राम पंचायत के समस्त परिवारों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। राजस्व ग्रामवार समिति गठन हेतु राजस्व गांव की अलग से भी बैठक की जा सकती है।
- ✓ बैठक होने से न्यूनतम 3–5 दिन पूर्व ग्रामीण समुदाय को सूचित किया जाय बैठक में जे0जे0एम0 कार्यक्रम की जानकारी समिति का स्वरूप, पदाधिकारियों की संख्या एवं कार्यदायित्व, आदि की जानकारी विस्तार से देनी चाहिये। करना

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति के कार्य दायित्व–

- ✓ जलापूर्ति योजनाओं के लिये ग्राम कार्य योजना (village action plan) तैयार करना
- ✓ जलापूर्ति योजनाओं का नियोजन, डिजाइन क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव विभाग के माध्यम से करना।
- ✓ भविष्य में भी किसी नये घरों को जल प्रदान करना तथा मुख्य बस्तियों से दूर बिखरे घरों को भी जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- ✓ केन्द्रीकृत वस्तु दर निविदा के माध्यम से एस डब्ल्यू एस एम द्वारा यथा निर्धारित एजेन्सियों/विक्रेताओं से सेवाओं /वस्तुओं/सामग्री को क्रय करना।
- ✓ ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/उपभेक्ता समूह का खाता खोलना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा है तो सुनिश्चित करना कि योगदान एवं प्रोतसाहन राशि हेतु पृथक खाता खोला जाय।
- ✓ अंतः ग्राम संरचनाओं के लिये निर्धारित अंशदान योजना लागत का (5% अथवा 10%) जमा करने के लिये समुदाय को प्रेरित करना और सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत की परिसम्पति पंजिका में पेयजल परिसम्पति को दर्ज करना।
- ✓ वर्ष में न्यूनतम 4 बैठक आयोजित करना तथा अभिलेखीकरण करना।
- ✓ पेयजल योजना के रखरखाव हेतु आपरेटर/तकनीशियन नियुक्त करना।
- ✓ तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण एवं मूल्यांकन के दौरान उनको सहयोग करना।
- ✓ पानी के विवेकपूर्ण उपयोग तथा दुरूपयोग को रोकने हेतु जन–जागरूकता पैदा करना।
- ✓ योजना निर्माण, जल स्रोत संवर्धन पानी के पुनः उपयोग आदि कार्यों का निरीक्षण करना।
- ✓ बैठकों/पी.आर.ए. गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित करना

कियान्वयन सहयोग एजेन्सी (आई.एस.ए.) के कार्य एवं उत्तरदायित्व

- अन्तः ग्राम जलापूर्ति योजनाओं के नियोजन कियान्वयन तथा संचालन एवं रख–रखाव में ग्राम पंचायत/ समिति को सहयोग किये जाने तथा एक भागीदार के रूप में गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संगठन, महिला स्वयं सहायता समूह आदि को नियुक्त किया जायेगा, ऐसे संगठनों को आई.एस.ए. कहा जायेगा।
- बेसलाईन सर्वेक्षण में सहयोग करना।
- ग्राम कार्ययोजना तैयार करने में सहयोग करना
- ग्राम स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करना।
- सामुदायिक विकास तथा तकनीकी निर्माण के लिए उत्प्रेरक व सुगमकर्ता की भूमिका निभाना।
- सामुदायिक विकास योजनाओं का क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- पंचायती राज संस्थाओं एवं समुदाय की क्षमता विकास गतिविधियों को आयोजित करना तथा ग्राम पंचायत एवं अन्य एजेंसियों से कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए संम्पर्क करना।
- समिति गठन को सुगम बनाना एवं क्षमताबर्द्धन करना।
- ग्राम पंचायत और समिति द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों में सहयोग करना।
- एफ.एच.टी.सी. आवश्यकता का मूल्यांकन करना व संयोजन लेने हेतु समंदाय को प्रेरित करना।
- सामुदायिक जागृति हेतु पी.आर.ए. तकनीकियों का उपयोग एवं आवश्यकता मूल्यांकन करना।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल अभियानों में समुदाय का सहयोग करना।
- सफलता की कहानियों का संकलन तथा उचित स्थलों पर दीवार लेखन आदि।
- डी.डब्ल्यू.एस.एम. एवं डी.डब्ल्यू.एस.सी के बीच समन्वय बनाना।
- अन्य राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित

कार्य क्रियान्वयन सहयोग एजेन्सी (आई.एस.ए.) के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा निम्न प्रपत्र ग्राम कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित करायी जायेगी।

जे0जे0एम के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं हेतु ग्राम कार्य योजना

तैयारी की तारीख	
1.1 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख	
1.2 डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किये जाने की तारीख	
2. ग्राम का नाम	
2.1 ग्राम पंचायत का नाम	
2.2 ब्लॉक का नाम	
2.3 जिला का नाम	
2.4 राज्य का नाम	
2.5 ग्राम जनगणना कोड	
2.6 ग्राम के अन्दर सम्मिलित बस्तियों के नाम	
ग्राम पंचायत का संकल्प (संलग्नक)	संलग्न–1
पानी की गुणवत्ता प्रमाण पत्र (सम्बन्धित विभाग द्वारा जरी किया)	संलग्न–2

भाग–1 ग्राम पंचायत का संकल्प–

3. समुदाय की आकांशा– (संख्या) कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थानों जलापूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित पर अर्थात. निर्धारित गुणवत्ता वाले ... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ....सभी ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने लिये प्रदान करना। हम ग्राम समुदाय लोग, अपनी अतः ग्राम जलापूर्ति अवसंरचना अपनत्व, प्रबन्धन, एवं रख–रखाव जिम्मदारी हैं। हम अपने जल निकायों सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा/करेंगे। अपने के गंदले जल (ग्रे वाटर) प्रबन्धित करेंगे अपने मीठे (पेयजल) को बचायेंगे। ग्रामवासियों संकल्प लिया जाता कि पूजी लागत का..... प्रतिशत संचालन रख–रखाव के परिपूर्ण पूंजीगत का भुगतान किया जायेगा जलापूर्ति प्रबन्धन योगदान किया जायेगा।

भाग–2 पंचायत इसकी समिति उपसमिति विवरण–

4. जलापूर्ति का नियोजन कियान्वय तथा संचालन रख–रखाव

4.1 पंचायत और उसकी उपसमिति का नाम.....

4.2 अध्यक्ष का नाम .....लिंग .....आयु.....

5. सदस्यों का विवरण–

नाम	लिंग	आयु	समिति में पदनाम

भाग–3 सामान्य विवरण

6. 2011 की जनगणना के अनुसार एवं वर्तमान पंचायत रिकार्ड के अनुसार

2011 की जनगणना के अनुसार		**वर्तमान पंचायत रिकार्ड के अनुसार**	
ग्राम की जनसंख्या		ग्राम की जनसंख्या	
परिवारों की संख्या		परिवारों की संख्या	
महिलाओं की संख्या		महिलाओं की संख्या	
पुरूषों की संख्या		पुरूषों की संख्या	
बच्चों की संख्या		बच्चों की संख्या	
एफ.एच.टी.सी. की संख्या		एफ.एच.टी.सी. की संख्या	

7. जनसंख्या अनुमान

मध्यावर्धी चरण (Intermediate Stage) वर्तमान में 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18 प्रतिशत वृद्धि) .....

अंतिम चरण (Ultimate Stage) वर्तमान में 30 वर्ष (वर्तमान जन संख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि)..... .....

8. वर्तमान में मवेशी संख्या (पशुपालन रिकार्ड के अनुसार).....

9. कृषि फसल पैटर्न

प्रमुख फसलें	खरीफ	रवि	टिप्पणी यदि कोई हो तो
सरसों			
धान			
मक्का			
कपास			
गेहू			
बाजरा			
अन्य (और लाईने जोड़ सकते हैं)			

10 औसत जिला वर्षा (मि.मी. में).....

11 स्थलाकृति– समतल/ढलान आदि.....

भाग–4 स्थिति विश्लेषण–

12 क्या संसाधन मानचित्रण करवाया गया है (हॉ/नही) (बी.ए.पी. के साथ संलग्न करें)

13 क्या सामाजिक मानचित्रण करवाया गया है (हॉ/ नहीं) – (वी.ए.पी. के साथ संलग्न करें)

14 सार्वजनिक संस्थाओं की जानकारी

क्रम0	सार्वजनिक संस्थान	क्या एफ.एच. टीसी उपलब्ध है	क्या वर्षा जल संचयन है संरचना उपलब्ध है	क्या सोख्ता गढ्ढा उपलब्ध है
1	स्कूल			
2	आंगनवाडी			
3	स्वास्थ्य केन्द्र			
4	ग्राम पंचायत भवन			
5	अन्य (और लाईने जोड़ सकते			
6				
7				
8				

15 पानी की दैनिक आवश्यकता के.एल.डी.में

विवरण	मात्रा
पानी की वर्तमान आवश्यकता (जनसंख्या ग पानी की दर (प्रति व्यक्ति / दिन)	
मवेशियों के लिये पानी की आवश्यकता – (कुल मवेशी X पानी की दर प्रति मवेशी/दिन)	
मवेशी कुंडों का आवश्यक संख्या	
मध्यवर्धी चरण (Intermediate Stage) चरण के लिये पानी की आवश्यकता (जनसंख्या X पानी की दर)	
(प्रति व्यक्ति / दिन) (जनसंख्या विन्दु संख्या 7 से ली जा सकती है।	
अंतिम चरण (Ultimate Stage) चरण के लिये पानी की आवश्यकता (जनसंख्या X पानी की दर (प्रति	

16 पानी की आपूर्ति का इतिहासवृत्त–

गांव में पानी की आपूर्ति का इतिहासवृत्त (जल स्रोत, पूर्व उपलब्धता, पूर्व पेयजल योजना, सूखा/अकाल/आपदा पानी की उपलब्धता की समान्य प्रवृति को लिखा जाये अलग से संलग्नक लगाया जा सकता है।

17 आपतकालीन व्यस्था का कोई इतिहासवृत्त–यथा टेंकर से आपूर्ति, रेलगाडी से आपेर्ति, इत्यादि

18 पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित पूर्व / आंशिक कार्य, स्रोत स्थायित्व हेतु किये गये कार्यों का इतिहासक

19 जल जनित रोगों का इतिहास

पानी की गुणवत्ता सम्बन्धी

20 फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता का चौकसी के लिये निर्धारित तारीखें,

21 स्वच्छता सर्वेक्षण के लिये निर्धारित तारीखें.....

22 जलापूर्ति योजना में इस्तेमाल किये जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित स्रोत/स्रोतों के पानी की गुणवत्ता–

मापदण्ड	जांच तरीका	परिणाम
जल स्रोत का नाम, ...जल जांच करने का ..... (अलग–अलग स्रोतो हेतु अलग–अलग तालिका तैयार करें)		
गंदलापन (Turbidity)	रंग देखकर	
पी.एच. (pH)	पट्टी रंग तुलना	
कठोरता (Total Hardness)	फील्ड टैस्ट किट में उपलब्ध विधि से	
लवणता(Alkenility)	फील्ड टैस्ट किट में उपलब्ध विधि से	
क्लोराईड (Chloride)	फील्ड टैस्ट किट में उपलब्ध विधि से	
अमोनिया (Ammoni)	फील्ड टैस्ट किट में उपलब्ध विधि से	
फास्फेट (Phosphate)	फील्ड टैस्ट किट में उपलब्ध विधि से	
अवशिष्ट क्लोरीन (Residual Chlorine)	फील्ड टैस्ट किट में उपलब्ध विधि से	
लौह (Iron)	फील्ड टैस्ट किट में उपलब्ध विधि से	
नाईट्रेट (Nitrate)	फील्ड टैस्ट किट में उपलब्ध विधि से	
फलोराईड (Floride)	फील्ड टैस्ट किट में उपलब्ध विधि से	
बेक्टिरियोलॉजिकल	एच.टू.एस. वॉयल से	

कपड़े धोने/स्नान करने का स्थान विवरण सम्बन्धी

23 यह सम्भावना है कि गांव में कुछ गरीब क्षेत्रों में कपड़े धोने के लिये और या नल कनैक्सन के लिये पर्याप्त जगह ना हो, ऐसी स्थिति में निर्धारित स्थलों की संख्या जहां पर कपडे धोने/नहाने के लिये स्थान उपलब्ध कराये जाने हैं

स्थान का नाम	उपयोग करने वाले घरों की संख्या	जनसंख्या

जल स्रोत स्थायित्व सम्बन्धी–

24. भूजल स्रोतों के मामले में क्या बोर वैल रिचार्ज संरचना है (हॉ/नही)

25 गांव के उन मौजूदा जल निकायों (स्रोतों) की सूची, जिनका संरक्षण एवं संवर्धन आवश्यक है– (संलग्न करें)

गंदले पानी का प्रबन्धन सम्बन्धी–

26 कुल उत्पन्न होने वाला गंदला जल (जलापूर्ति का 65 प्रतिशत) (किचन एवं बाथरूम से निकलने वाला) के.एल.डी.

26.1 अलग–अलग सोख गड्ढा वाले परिवारों की संख्या.....

26.2 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख गड्ढे की आवश्यकता.....

26.3 आवश्यक सामुदायिक सोख गड्ढों की आवश्यकता है.....

28.4 क्या बेस्ट वाटर स्टेबिलाईजेशन तालाब की आवश्यकता है (हॉ/नहीं).....

26.5 यदि हां तो क्या इसके लिये स्थान निर्धारित है (हॉ/नही).....

26.6 यदि नही तो गंदला जल प्रबन्धन हेतु कौन सा उपाय अपनाया जाना चाहिये.....

भाग–5 जलापूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अन्तर्गत एफ. एच.टी.सी. प्रदान किये जायेंगें–

- ✓ पूर्व में एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत आरम्भ की गयी पेयजल योजना की रैट्रोफिटिंग/मरम्मत।
- ✓ पूर्व में पूर्ण की गयी/उपलब्ध पेयजल योजना की रेट्रॉफिटिंग/मरम्मत।
- ✓ निर्धारित गुणवत्ता वाले प्रर्याप्त भूजल/जल स्रोत/सतही पानी वाले गांव में नई एकल ग्राम योजना
- ✓ निर्धारित गणवत्ता वाले प्रयाप्त भूजल/जल स्रोत सतही पानी वाले गांव में एकल ग्राम जलापूर्ति योजना
- ✓ शोधन की आवश्यकता किन्तु प्रयाप्त भूजल वाले गांव में एकल ग्राम जलापूर्ति योजना
- ✓ वाटरग्रिड/क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं वाले बहुल ग्राम पेयजल आपूर्ति योजना।
- ✓ एकान्त/आदिवासी बस्तियों वाली मिनी सोलर पम्पिंग पाईप्ड जलापूर्ति योजना।

28 निधारित जल स्रोत..... तकनीकी आर्थिक और सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के लिए

निर्धारित भूमि .....दिनांक.....को पेयजल विभाग को सौंप दी जायेगी।

कुल लागत रू0.....केद्रांश रू0 .....राज्यांश रू0.....
निर्धारित सामुदायिक अंशदान रू०. .....व्यक्तिगत घरेलू संयोजन अंशदान रू0.....
.....

वार्षिक संचालन व्यक्तिगत घरेलू संयोजन अंशदान रू०.....वार्षिक संचालन एवं रखरखाव शुल्क रू0.....व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क रू0 .....प्रयोक्ता शुल्क.....
दूरस्थ/एकान्त बसावट हो तो मिनी वाटर सप्लाई के लिये निर्धारित स्थान .....।

भाग–6: विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण

29 जे0जे0एम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति के साथ–साथ जल संरक्षण तथा भूरा जल प्रबन्धन आदि कार्यों को विभिन्न रेखीय विभागों में उपलब्ध धनराशि के साथ अभिसरण कर पूर्ण किया जाना है निम्नलिखित तालिका में कतिपय रेखीय विभागों तथा उनके माध्यम से किये जा सकने वाले कार्यों

को सूचीबद्ध किया गया है। गांव की जलापूर्ति योजनाओं में जिन कार्यों को लिया जाना है, उन्हें विस्तृत विवरण के साथ सम्बन्धित रेखीय विभागों से चर्चा कर कियान्वित किया जा सकता है–

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	सम्भावित गतिविधि जिसे पूर्ण किया जा सकता है।	गांव में लागू किया गया है अथवा नही(हॉ/नही)
जे0जे0एम	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	जलापूर्ति योजना / एफ.एच.टी.सी.	
अटल भू जल योजना	जल संसाधन	भूजल की मात्रा बढाने हेतु रिर्चाज	
15 वां वित्त आयोग	पंचायती राज	निकास नाली, रेट्रोफिटिंग /मरम्मत, जल स्रोत संवर्द्धन	
एस0बी0एम0(जी)	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	गंदला जल प्रबन्धन	
एम०जी०नरेगा	ग्रामीण विकास मंत्रालय	जल संरक्षण गतिविधियां	
आई0डब्ल्यू०एम०पी०	भूमि संसाधन विकास	वाटर शैड प्रबन्धन, कृत्रिम भुर्नभरण, जल निकाय का निर्माण	
आर०के०वी०आई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटर शेड से सम्बन्धित कार्य	
पी०एम०के०एस०वाई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	जल निकासी को कम करने के लिये फसल चक, सिंचाई तकनीकी आदि	
कैम्पा	वन एवं पर्यावरण	वनीकरण वाटर शेड विकास	
प्रधान मंत्री कौशल विकास	कौशल विकास एवं उद्यमिता	मानव संसाधनों का कौशल विकास/प्रशिक्षण	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जलापूर्ति/जल संरक्षण योजनायें	
जिला खनिज विकास निधि	राज्य	जल संरक्षण योजनायें	
लोक सभा वित्त पोशित	सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	अंतः ग्राम जलापूर्ति अवसंरचना	
विधान सभा वित्त पोशित	राज्य	अंतः ग्राम जलापूर्ति अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद	जनजातीय मामलों का	अंतः ग्राम जलापूर्ति अवसंरचना	
275–1 के तहत अनुदान / जन जातीय उपयोजना	मंत्रालय / राज्य		
दान दाता प्रायोजक			

अध्यक्ष के हस्ताक्षर.....

सम्बन्धित पेयजल विभाग के अभियन्ता के हस्ताक्षर .....एवं मोबाईल नं0..... .....आई.एस.ए. के प्रतिनिधि का नाम.....व हस्ताक्षर.....एवं मोबाईल नं0 ....ग्राम पंचायत/समिति के सदस्यों के नाम.....एवं मोबाईल न०.....एवं हस्तरक्षर ... . पंचायत सचिव का नाम.....व हस्ताक्षर.....एवं मोबाईल.....पानी की निगरानी / गुणवत्ता की चौकसी हेतु महिलाओं के नाम .....एवं मोबाईल नं0.....पम्प आपरेटर/ रख–रखाव कर्मी का नाम.....व मोबाईल नं0.....

पेयजल विभाग के कार्य एवं उत्तर दायित्वः

1. पीआरए गतिविधियों में भाग लेना आवश्यकता को दृढ करना गांवों का मूल्यांकन, और

तकनीकी प्रदान करना वीएपी तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

2 ग्राम को वैज्ञानिक और तकनीकी इनपुट प्रदान करना पंचायत औरध्या इसकी उप–समिति, अर्थात। टैपानी समिति उपयोगकर्ता समूह, आदि में पेयजल स्रोतों की पहचान करना

3 ग्राम पंचायत और घ्या इसकी उप–समिति, अर्थात वीडब्ल्यूएससी पानी समिति उपयोगकर्ता समूह आदि द्वारा इसकी मात्रा और गुणवत्ता के लिए स्थायी तरीके से चयनित स्रोत का प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना संबंधित हाइड्रोजियोलॉजिस्ट भू–जल अधिकारियों को शामिल करना

4. मौजूदा परिसंपत्तियों की पहचान करना, जिन्हें फिर से उपयोग किया जा सकता है।

5. एमवीएस के मामले में स्रोत विकास सहित थोक जल अंतरण उपचार और वितरण नेटवर्क की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन और यह सुनिश्चित करना कि पानी गांव में संप तक स्थानांतरित किया गया है

6. जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के मामले में सुनिश्चित करें कि उपयुक्त जल उपचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और आपूर्ति के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाता है

7. एमबी में प्रवेश और चल रहे बिलों की तैयारी

8. ट्रायल रन करना और योजना को चालू करने की सुविधा प्रदान करना

9 ग्राम पंचायत औरण्या इसकी उप–समिति, यानी वीडब्ल्यूएससी पानी समिति उपयोगकर्ता समूह आदि द्वारा विचार और स्वीकृति के लिए डिजाइन अनुमान तैयार करना और गांव के बुनियादी ढांचे के लिए तकनीकी अनुमोदन प्रदान करना

10 जहां कहीं आवश्यक हो, कार्यों के निष्पादन के लिए वैधानिक कानूनी और अन्य मंजूरी प्राप्त करें

11. मौजूदा सृजित संपत्तियों का विवरण हासिल करना और उन्हें जियो–टैग करना

12. बेसलाइन मैपिंग के हिस्से के रूप में आधार के माध्यम से मौजूदा एफएचटीसी को घर के मुखिया से जोड़ना सुनिश्चित करें

13. गांव के बुनियादी ढांचे के लिए एक बाड़ वाले 'वाटर वर्क' कॉम्प्लेक्स आवास के लिए डिजाइन प्रदान करें और स्थानीय संदर्भ के अनुसार उपयुक्त नाम सुझाएं

डीडब्ल्यूएसएम के कार्य एवं उत्तर दायित्व

1. एफएचटीसी के लिए प्रत्येक गांव का जायजा लेने के बाद वीएपी की तैयार करना,
2. वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी प्रदान करने के लिए जिला कार्य योजना (डीएपी) को अंतिम रूप देना
3. एसडब्ल्यूएसएम द्वारा हस्तांतरित शक्तियों के अनुसार जिला स्तर पर गांव में जलापूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना,
4. अभिसरण के माध्यम से गांवों में स्रोत स्थायित्व कार्यों और ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और परियोजनाओं को तभी मंजूरी दी जा सकती है जब ये घटक डीपीआर का हिस्सा हों,
5. आईएसए समर्थन की आवश्यकता वाले गांवों की पहचान करना, तैयार किये गये पैनल सूची में आईएसए को नियोजित करना और उनके कार्य प्रदर्शन की निगरानी करना,
6. पीएचईडी / आरडब्ल्यूएस विभाग को वीएपी में सक्रिय भागीदारी के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करना और ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, यानी वीडब्ल्यूएससी / पानी समिति / उपयोगकर्ता समूह, आदि के परामर्श से तकनीकी आर्थिक फिजिविलिटी शुरू करना, डीपीआर तैयार करना।
7. ग्राम कार्य योजनाओं (वीएपी) को मंजूरी देना जिसमें अन्त ग्राम अवसंरचना के निर्माण अर्थात रेट्रोफिटिंग या नई योजना का प्राक्कलन शामिल होगा।
8. यूनिट टाईप डिजाइनों को अंतिम रूप देना और एसडब्ल्यूएसएम या पीएचईडी/ आरडब्ल्यूएस विभाग, आईएसए ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, यानी वीडब्ल्यूएससी / पानी समिति / उपयोगकर्ता समूह, आदि द्वारा तय की गयी लागत को मंजूरी देना।
9. वीएपी और पुरस्कार कार्य से निकलने वाली वार्षिक अनुमानित आवश्यकता के आधार पर सूचीबद्ध सूची से एजेंसी की उपलब्धता सुनिश्चित करना
10. एजेंसी को भुगतान करने से पहले कार्य के निरीक्षण के लिए तीसरे पक्ष की एजेंसी को नियुक्त करना
11. ग्राम पंचायतों की उप–समिति यानी वीडब्ल्यूएससी / पानी समितियां / उपयोगकर्ता समूह इत्यादि के गठन में सहायता और ोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहायता करना,
12. ग्राम पंचायत और / या इसकी उपसमिति, अर्थात वीडब्ल्यूएससी / पानी समिति / उपयोगकर्ता समूह, आदि के साथ समन्वय स्थापित करना, सूचना एकत्र करना, जिला कार्य योजना (डीएपी) तैयार करना और एसडब्ल्यूएसएम को जमा करना
13. जेजेएम के तहत इन–विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्राम पंचायत और इसकी उप–समिति, यानी वीडब्ल्यूएससी, पानी समिति, उपयोगकर्ता समूह, आदि द्वारा लगाए जाने वाले कुशल मानव संसाधन का एक पूल बनाने के लिए पीएमकेवीके के साथ अभिसरण उसी के लिए भुगतान समर्थन निधि से हो सकता है।
14. आईएमआईएस पर जेजेएम की भौतिक और वित्तीय प्रगति के नियमित अपडेट सुनिश्चित करना और उसे मान्य करना
15. भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन
16. कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में एनजीओ वीओ सीबीओ भागीदारों की तैनाती की सुविधा

17. आईईसी बीसीसी रणनीति को लागू करना और उसके लिए निर्धारित सहायता कोष का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना
18. राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की पहचान करना जो बदले में ग्राम पंचायत और इसकी उपसमिति, अर्थात वीडब्ल्यूएससी पानी समिति उपयोगकर्ता समूह आदि की क्षमता का निर्माण करेंगे
19. ग्राम पंचायत और या इसकी उप–समिति, यानी वीडब्ल्यूएससी पानी समिति उपयोगकर्ता समूह, आदि से कमीशन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आईएमआईएस पर एफएचटीसी अपलोड करें
20. JJM IMIS और जिले के भीतर रिपोर्ट, सफलता की कहानियों, सर्वोत्तम प्रथाओं को अनुमोदित और साझा करना
21. केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा शुरू किए गए श्रश्रड के संबंध में सभी अभियान चलाना
22. अच्छा प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत औरध्या उसकी उप–समिति, यानी वीडब्ल्यूएससी पानी समिति उपयोगकर्ता समूह, आदि और आईएसए को समय–समय पर मान्यता देना
23. सुधारात्मक कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य संकेतकों, जल जनित रोगों आदि पर डेटा का विश्लेषण करें
24. ग्राम पंचायत औरध्या इसकी उप–समिति, यानी वीडब्ल्यूएससी पानी समिति उपयोगकर्ता समूह, आदि पदाधिकारियों, जहां कहीं भी आवश्यक हो, के लिए एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था करें।
25. सुनिश्चित करें कि राज्य विशिष्ट नारे जेजेएम परिचयात्मक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गांवों में निर्धारित प्रारूप में दीवार पर पेंट किए गए हैं
26. सूखा / बाढ़ जैसी आपदाओं के समय में कदम उठाना
27. प्राप्त शिकायतों ससमय निवारण करना
28. यह सुनिश्चित करना कि सभी जानकारी IMIS पर भरी गई है।

नोट्स